संख्या- 15/2018/ 451/38-4-18-14(विविध)/2016 टी0सी0-1

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ::दिनांक 05 अप्रैल, 2018

विषयः-प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत गठित पी0एम0यू0 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-28/2017/933/38-4-17-14(विविध)/2016 टी0सी0-1 दिनांक 14 सितम्बर,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर-7.3 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार **Programme Management Unit (PMU)** के त्रिस्तरीय गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- शासन स्तर पर समीक्षा के उपरान्त यह पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संचालन/प्रबन्धन में योजनान्तर्गत गठित पी0एम0यू0 की कोई विशेष उपादेयता नहीं है।

3- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-28/2017/933/38-4-17-14(विविध)/2016 टी0सी0-1 दिनांक-14 सितम्बर,2017 द्वारा **Programme Management Unit (PMU)** के त्रिस्तरीय गठन की व्यवस्था दिनांक 31 मार्च, 2018 के पश्चात समाप्त मानी जायेगी।

4- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संचालन/प्रबन्धन की दृष्टि से जिस स्तर पर उक्त **PMU** की आवश्यकता अनुभव की जाय, उसका प्रस्ताव आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा अथवा संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास के माध्यम से अलग से शासन को प्रेषित किया जाये, जिस पर गुण-दोष के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन स्तर पर निर्णय लिया जायेगा ।

5- कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 15/2018/ 451(1)/38-4-2018, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।

2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नागेन्द्र प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।